

Roll No.

DD-680

M. A. (Fourth Semester) EXAMINATION, 2020

HISTORY

Paper Third

(Optional)

(भारत में केन्द्रीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 80

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt all the *five* questions. *One* question from each Unit is compulsory. All questions carry equal marks.

इकाई—1

(UNIT—1)

1. लोकपाल के संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।

Highlight the constitutional provisions of Lokpal.

P. T. O.

अथवा

(Or)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन एवं कार्यों का विश्लेषण कीजिए।

Analyze the formation and functions of the National Commission for Scheduled Castes and Tribes.

इकाई—2

(UNIT—2)

2. राज्य मंत्रिपरिषद् के गठन के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

Explain the role of the Chief Minister in the Council of Ministers by mentioning the provisions for constitution of Council of State.

अथवा

(Or)

संघ राज्य क्षेत्र के गठन के प्रावधान एवं शासन प्रणाली पर प्रकाश डालिए।

Highlight the provision of Constitution of Union Territory and the System of Governance.

इकाई—3

(UNIT—3)

3. अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यताओं एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

Describe the appointment, qualifications and jurisdiction of Subordinate Court Judges.

अथवा

(Or)

महाधिवक्ता के पद की योग्यता एवं उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए।

Describe the qualifications and responsibility of the post of Advocate General.

इकाई—4

(UNIT—4)

4. प्रशासन में नौकरशाहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

Evaluate the role of bureaucrats in administration.

अथवा

(Or)

नगरीय स्वायत्त शासन के गठन एवं इनके जनकल्याणकारी कार्यों का उल्लेख कीजिए।

Mention the formation of urban autonomous government and their welfare works.

इकाई—5

(UNIT—5)

5. संभागायुक्त के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Describe the work and powers of Divisional Commissioner.

अथवा

(Or)

जिला दंडाधिकारी के कार्य तथा शक्तियों का विश्लेषण कीजिए।

Analyze the functions and powers of the District Magistrate.